न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— मनोज, (R.A.S.)

नामान्तरकरण अपील संख्या 03/2023 **GCMS No. 2023/332**

अपीलार्थी

1. मोहित किशोर कुमार खेमका जाति अग्रवाल निवासी रतनगढ़ जिला चुरू राजस्थान हाल निवासी पालड़ी कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. ग्राम पंचायत मण्डावरा, पंचायत भंवन ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
2. शोभा देवी पत्नि किशोर कुमार खेमका जाति अग्रवाल महाजन निवासी रतनगढ़ जिला चुरू हाल निवासी बजरंग ट्रेडर्स, प्याज गोदाम पालड़ी कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
3. हेमा पुत्री किशोर कुमार खेमका जाति अग्रवाल महाजन निवासी रतनगढ़ जिला चुरू राज. हाल निवासी बजरंग ट्रेडर्स प्याज गोदाम पालड़ी कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बालचन्द पति स्व. बीनादेवी जाति खण्डेलवाल निवासी झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर राज. हाल निवासी बजरंग ट्रेडर्स, प्याज गोदाम पालड़ी कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
5. वैभव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति खण्डेलवाल निवासी झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर राज. हाल निवासी बजरंग ट्रेडर्स, प्याज गोदाम पालड़ी कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
6. पटवारी हल्का ग्राम मण्डावरा, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकण संख्या 507 ग्राम पंचायत मण्डावरा पारित आदेश दिनॉक 20.09.2016

उपस्थित — श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :— 11-07.2023

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पालड़ी पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 73 रकबा 1.93 हैक्टर में से अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के पति व पिता की 0.63 हैक्टर भूमि तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 की पत्नि व माता की 0.62 हैक्टर भूमि अवस्थित रही है, उक्त भूमि में से 4800 वर्ग मीटर की भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक राजस्व/06/126—30 दिनॉक 25.02.2006 के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा कर संपरिवर्तन आदेश की प्रति तहसीलदार नावां व पटवारी हल्का मण्डावरा को दे दी गई। उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया था, उक्त नियम 1992 के नियम [illegible] संपरिवर्तन के पश्चात राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि—संपरिवर्तन आदेश ज[illegible] के पश्चात तहसीलदार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि [illegible] का क्षेत्र कम कर देगा।" तहसीलदार एवं प्रत्यर्थी 6 को उक्त संपरिवर्तन [illegible] की सूचना प्राप्त होने [illegible] भी आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:18:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दिनॉक तक इस आदेश की पालना नही हो पाई है। संपरिवर्तन आदेश जारी होने के पश्चात बीनादेवी का देहान्त हो गया जिसके फलस्वरूप उक्त संपरिवर्तन आदेश की पालना किये जाने से पूर्व ही उक्त अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण सं. 507 प्रत्यर्थीगण संख्या 4 व 5 के नाम बीनादेवी का हिस्सा दर्ज कर दिया गया तथा भूमि की किस्म कृषि भूमि यथावत रख दी गई। संपरिवर्तन आदेश जारी होने के पश्चात अपीलार्थी के पिता किशोर कुमार का भी देहान्त हो गया, उक्त संपरिवर्तन आदेश श्रीमति बीनादेवी तथा किशोर कुमार के संयुक्त नाम से जारी किया गया था। अपीलार्थी की इस्तदुआ है कि अपीलार्थी के पिता, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पति व प्रत्यर्थी संख्या 3 के पिता श्री किशोर कुमार तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 की पत्नि व प्रत्यर्थी सं. 5 की माता श्रीमति बीनादेवी के पक्ष में जारी उक्त संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/06/126–30 दिनॉक 25.02.2006 की सूचना प्रत्यर्थी संख्या 6 को होते हुए भी इस संपरिवर्तन आदेश दिनॉक 25.02.2006 ककी पालना नही की गई बल्कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 507 दर्ज कर दिया जो कि संपरिवर्तन आदेश की पालना किये जाने के पश्चात दर्ज किया जाना था, अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 507 निरस्त योग्य है। भूराजस्व अधिनियम/भू–अभिलेख नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व कर्मचारी/अधिकारीगण का दायित्व है कि राजस्व अभिलेख को आदिनॉक बनाये रखे। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 507 निरस्त कर संपरिवर्तन आदेश दिनॉक 25.02.2006 ककी विधिवत पालना करते हुए अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 5 के पक्ष में विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रत्यर्थी संख्या 6 को प्रदान करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पालड़ी के नामान्तरकण संख्या 507 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 73 की प्रति,, किशोर कुमार के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति, बीना खण्डेलवाल के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति, संपरिवर्तन आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत की।

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 73 रकबा 1.93 हैक्टर बारानी प्रथम में कानाराम पुत्र मूलाराम हिस्सा 34/193 जाति कुमावत सा. कुचामनसिटी खातेदार, किशोर कुमार पुत्र दीनदयाल खेमका हिस्स 63/193 जाति अग्रवाल सा. रतनगढ़, भंवरीदेवी पत्नि प्रेमाराम हिस्सा 34/193 जाति कुमावत सा. कुचामनसिटी खातेदार, राजेन्द्र प्रसाद खण्डेलवाल पुत्र बालचन्द हिस्सा 31/193 जाति अग्रवाल सा. झोटवाड़ा (जयपुर) खातेदार, वैभव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद खण्डेलवाल हिस्सा 31/193 जाति अग्रवाल सा. झोटवाड़ा (जयपुर) खातेदार दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्रो अनुसार किशोर कुमार एवं बीना देवी की मृत्यु हो चुकी है। संपरिवर्तन आदेश 25.02.2006 अनुसार पालड़ी के खसरा नम्बर 73 में से 4800 [illegible] भूमि वाणिज्यिक संपरिवर्तन हुई है जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दराम[illegible] विशेष रहा, इसी दौरान बीना देवी एवं किशोर कुमार खातेदार की [illegible] भूमि में नामान्तरकण सं. 507 के जरिये बीनादेवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद की [illegible] पर विरासत का नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:18:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उसके पति राजेन्द्र प्रसाद एवं पुत्र वैभव के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है, जिसके कारण संपरिवर्तन आदेश का नामान्तरकरण होना शेष रहा है, किशोर कुमार का विरासत नामान्तरकरण होना शेष है। उपरोक्त तथ्य से साबित है कि प्रश्नगत भूमि पालड़ी के खसरा नम्बर 73 रकबा 1.93 हैक्टर में दिनॉक 25.02.2006 को जारी संपरिवर्तन आदेश 4800 वर्ग मीटर वाणिज्यिक प्रयोजन का नामान्तरकरण पहले दर्ज होकर बीनादेवी एवं किशोर कुमार के हक हिस्से में से 0.4800 हैक्टर भूमि कम की जाकर शेष रकबे के विरासत नामान्तरकरण दर्ज होने चाहिए थे। इसलिए उपरोक्त प्रविष्टि दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अपीलार्थी अपने नाम उपरोक्त संशोधन करवाये जाने के मुश्तहक है। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है। अतः स्वीकार कर निम्नवत आदेश दिये जाते है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और सरंपच ग्राम पंचायत मण्डावरा के नामान्तकरण प्रविष्टि ग्राम पालड़ी के नामान्तरकरण संख्या 507 दिनॉक 5.10.2016 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है वह संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/06/126-130 दिनॉक 25.02.2006 वाणिज्यिक भूमि 4800 वर्ग मीटर अर्थात 0.48 हैक्टर का पहले नामान्तरकरण दर्ज करे तत्पश्चात बीनादेवी एवं किशोर कुमार के हक हिस्से में से 0.48 हैक्टर भूमि कर बीनादेवी एवं किशोर कुमार के विरासत का नामान्तरकरण करे।

आदेश आज दिनॉक 11.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज RAS)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:18:27 IST
Reason: SelfAttested